न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
105/2025 प्रा.पत्र/2025	23.12.2025	30.01.2026
जीसीएमएस नं0 255/2025		

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री गुलाब सिंह राजावत पुत्र श्री भँवर सिंह राजावत निवासी भैरू जी मन्दिर के पास गुन्सी तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बालाजी जनरल एण्ड किराना स्टोर राहोली रोड गुन्सी तह. निवाई जिला टोंक। मोबाईल नं0 9829185722
2—मैसर्स बालाजी जनरल एण्ड किराना स्टोर राहोली रोड गुन्सी तह. निवाई जिला टोंक पिनकोड—304021

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(iV) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी श्री गुलाब सिंह राजावत स्वयं उपस्थित।

:—निर्णय—: दिनांक 30/1/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.09.2025 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स बालाजी जनरल एण्ड किराना स्टोर राहोली रोड गुन्सी तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉं पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता की हैसियत से श्री गुलाब सिंह राजावत पुत्र श्री भँवर सिंह राजावत अपने प्रतिष्ठान मैसर्स बालाजी जनरल एण्ड किराना स्टोर राहोली रोड गुन्सी तह. निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री गुलाब सिंह राजावत पुत्र श्री भँवर सिंह राजावत को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गुलाब सिंह राजावत पुत्र श्री भँवर सिंह राजावत ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में लोहे के एक टिन में लगभग 10—12 किलोग्राम **सरसों तेल (खुला)** वास्ते आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था। **सरसों तेल (खुला)** का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विकेता श्री गुलाब सिंह राजावत पुत्र श्री भँवर सिंह राजावत को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री गुलाब सिंह राजावत पुत्र

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

श्री भँवर सिंह राजावत के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **सरसों तेल (खुला)** दुकान में लोहे के एक टिन लगभग 10–12 किलोग्राम **सरसों तेल (खुला)** में से 1600 ग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल (खुला)** की खरीदशुदा 1600 ग्राम को अलग–अलग प्लास्टिक की चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में 400–400 ग्राम भरकर, डिब्बों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4511 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4511 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/4398 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3811/एक्ट/2025/3938 दिनांक 14.10.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गय **सरसों तेल (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेघ एवं निर्बधन) नं. 2.3.15(1)(b) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री गुलाब सिंह राजावत उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सरसों तेल (खुला)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त **सरसों तेल (खुला)** जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)**व **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल (खुला)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/-(अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्तशुदा सैंपल को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/1/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0